BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 26 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

Chandra Pal Singh …Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. …Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in pursuance to the order dated 27.01.2025 passed by the Hon'ble Tribunal	**1-3**
2.	**ANNEXURE NO. R2/1** A true copy of the closure order dated 25.02.2025	**4**
3.	**ANNEXURE NO. R2/2** A true copy of the FIR NO. 0167 of 2023 dated 19.07.2023	**5-12**
4.	**ANNEXURE NO. R2/3** A true copy of the show cause notice dated 02.05.2025.	**13-14**

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Respondent No. 2

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the Respondent No. 2
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 04.05.2025

Before The Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 26/2025

(I.A.No. 39/2025)

NOTARIAL NOTARIAL

Notary Public Shiv Kumar Guatam Notary/Advocate Reg No. 9493 Moradabad

IN THE MATTER OF:

CHANDRA PAL SINGH ....APPLICANT

Versus

STATE OF UP & Ors ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDIN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 27.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

I, Ashutosh Chauhan aged about 44 years, S/o Sri Ratan Singh Chauhan, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Moradabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal vides its order dated 27.01.2025 has observed that "........3. *The Applicant alleges that the illegally dug-up pit was up to the depth of 15 feet and that Respondent No. 4 had not complied with the environmental norms and had illegally dug the pit.*

6. Issue notice to the respondents for filing the response by way of affidavit within 6 weeks through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing……"

3. That in compliance to the above direction of Hon'ble Tribunal joint committee comprising of Additional District Magistrate, Rampur, Mining Officer Rampur and official of RO UPPCB, Moradabad conducted joint inspection of defaulter brick kiln M/s Chand Brick Field, Village- Khata Chintaman Tehsil- Milak, District-Rampur on dated 07.03.2025. During inspection of joint committee the questioned brick kiln was found closed in compliance of closure order dated 25.02.2025 issued by UPPCB. A true Copy of Closure order dated 25.02.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure no.R2/1.**

4. That as per the joint inspection the earlier dug pit is filled with soil and leveled to the ground and an FIR has been lodged by mining officer Rampur in the local police station on 19.07.2023 against the landowner of the Gata No. 314 and the owner of the brick kiln M/s Chand Brick Field. A true Copy of FIR is annexed herewith and marked as **Annexure no. R2/2**.

5. That as per the FIR on 19.07.2023 M/s Chand Brick Field, has done illegal mining of ordinary soil at village Khata chintaman, Tehsil-Milak, Distirct-Rampur at Gata No. 314, rakba 1.0480 hectare, the volume of illegal mining of ordinary soil is 20x4.5x1.753 cubic meter (154.377 cubic meter).

6. That on illegal mining FIR lodge against land owner and brick kiln by the District Mining Officer bearing FIR No. 0167 dated 19.07.2023and officials of Regional Office, UPPCB, Moradabad conducted a visit and approached the soil contractors and according to them the market value of ordinary soil is approx Rs. 150/-per cubic meter.

7. That considering above facts, UPPCB vide its letter dated - 02.05.2025 has issued Show cause Notice for imposing the Environmental Compensation of Rs. Rs. 69,470/- (Rs. Sixty Nine Thousand Four Hundred Seventy only)/- against M/s Chand Brick Field, village Khata chintaman, Tehsil-Milak, Distirct-Rampur. A true copy Show cause notice dated 02.05.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure no. R2/3**

8. That the present Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

Notary Public
Shiv Kumar Guatam
Notary/Advocate
Regd. No. 5493
Moradabad
Govt. of India

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Moradabad on this 04 day of May,2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Ashutosh Chauhan deponent who is identified by Sri/Smt./Km. Self 04/05/2025 Advocate/Clerk of Sri/Smt. ...

I have satisfied my self after examining the deponent That he/she understood the contents of the affidavit and the same has been read over & explained by me.

Revd. Rs ... as fees

Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Regd. No. 5493
Moradabad
04/05/2025

ANNEXURE - R2/1

DFA

4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0– H/24657 /सी–7/वायु–2005/2024-25

डायरी नं0 81 दिनांक 25-2-25
सीरियल नं0 C-9/रामपुर पंजीकृत
फाइल नं0
दिनांक 6-3-25

सेवा में,

मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड,
ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक,
जनपद–रामपुर।
मो0–0591 2485594

यह कि मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर द्वारा ईट का उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–2 (के0) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 ए के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने एवं ईट भटठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली–2012 के मापदण्डों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक एच–07022/सी–7/वायु–2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर के निरीक्षण मे पाया गया ईट भट्ठा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना ही स्थापित एवं संचालन हेतु प्रयासरत है। ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन पर्यावरण अनुभाग, लखनऊ की अधिसूचना सं0–921/55–पर्या/12–94(पर्या)/11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 में निर्धारित स्थल मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक एच–07022/सी–7/वायु–2005/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है:–

1. यह कि ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर द्वारा समस्त औद्योगिक प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।
3. यह कि मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नही की गयी है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है, जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद–रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम–खाता चिन्तामन, थाना एवं तहसील–मिलक जनपद–रामपुर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
3. जिला खनन अधिकारी, रामपुर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त ईट भट्ठे के खनन अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया जाए।
4. क्षेत्री अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्ठे को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

TC/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): रामपुर
P.S. (थाना): मिलक Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0167
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 19/07/2023 23:03

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304
2	खान अधिनियम, 1952	4
3	खान अधिनियम, 1952	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 19/07/2023 Time (समय):23:03 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 108 Date & Time (दिनांक और समय): 19/07/2023 23:03 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 12 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जंगल ग्राम खाता चिन्तामन ,थाना मिलक जनपद रामपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री शिवम जैन खान अधिकारी

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	रामपुर ,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	रामपुर ,रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8887534790

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

8

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	गाटा संख्या 314 के भूस्वामी			1. ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक, रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	चाद ब्रिक्स फिल्ड के भट्टा स्वामी			1. ग्राम खाता चिन्तामन ,मिलक, रामपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी .... थाना प्रभारी थाना मिलक जनपद रामपुर महोदय, अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी मिलक द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.07.2023 द्वारा प्रेषित क्षेत्रीय लेखपाल रिकू रानी , क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नादिर हुसैन खां , नायब तहसीलदार आर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी रामपुर के साथ की ग्राम खाता चिन्तामन की संयुक्त जांच दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या 314 रक्बा 1.0480 है0 की स्थलीय जांच करने पर 20x4.5x1.7153 घनमीटर का मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा ग्रामवासियों के लिए गये बयानों में उठायी गयी मिट्टी निकटतम ईट भट्टा चांद ब्रिक्स फिल्ड द्वारा प्रयोग में लिया जाना अंकित किया गया है। आख्या सलग्न है। अतः तहसील स्तरीय उपरोक्त संयुक्त आख्या की प्रति (स्थलीय छायाचित्र सहित) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या 314 के भूस्वामियों एवं चांद ब्रिक्स फिल्ड के भट्टा स्वामियों के द्वारा अवैध खनन किया गया है जिससे गहरे गहरे गड्ढे हो गये जिनमें बरसात का पानी भर गया यह भट्टा गांव की आवादी से लगा हुआ है और गांव के बच्चे वहां पर आकर खेला करते थे इसकी पूरी आशंका थी कि खेलते हुए बच्चे वहां पर डूब सकते है लेकिन भट्टा स्वामियों द्वारा इन गड्ढो को न तो भरा गया न ही बेरिकेटिंग करयी गयी और न ही कोई

चौकीदार तैनात किया गया जो बच्चे उधर न आने देता इनके इस कृत्य से है बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गयी है ।अतः अनुरोध है कि सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिको दर्ज करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अग्रेजी अपठित /19.7.23(शिवम जैन)खान अधिकारी, रामपुर।मो0न0 8887534790 नोट मैं हे0का0 741 धर्मवीर सिहँ प्रमाणित करता हूँ की तहरीर की नकल सीसीटीएनएस कम्प्युटर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाईप की गयी है मूल तहरीर सलग्न मूल एफ.आई.आर है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): AJAY PAL SINGH **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 972750356 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA MILAK
Rank I (Inspector)
No. 9454404165

उद्धरण क्रमांक : 1173532025035

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

ग्राम क्रमांक : 117353 ग्राम का नाम (परगना) : खाता चिन्तामन(मिलक) तहसील : मिलक जनपद : रामपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00096

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
314	धनीराम / रामचरन / नि. ग्राम मुन्नालाल / रामचरन / नि. ग्राम डोरीलाल / रामचरन / नि. ग्राम हृदयशंकर / कुन्दन / नि. ग्राम वेदराम / हृदयशंकर / नि. ग्राम शिशुपाल / हृदयशंकर / नि. ग्राम		1421फ.	314(11735303140000012)	1.0480			50.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव शून्य चार आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - पाँच शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार /20241313600728001171 /04-10-2024 /वरासत /Vimal Kumar Jain /10-10-2024	1.1) धनीराम/रामचरन/नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : -)	314(11735303140000012)	1.1) -	1.1) कुमर बहादुर/धनीराम/नि0 ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक	314(11735303140000012)	1.1) - 1.2) - 1.3) - 1.4) -

				1.2) दीपचन्द/धनीराम/नि0 ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक 1.3) नत्थो देवी/धनीराम/नि0 ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक 1.4) वेदप्रकाश/धनीराम/नि0 ग्राम खाता चिन्तामन तहसील मिलक		

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :
1) 1429फ. खातेदार हृदय शंकर पुत्र कुन्दन ने अपनी भूमि गाटा सं.314,241,146 को मु.319000/रू में बैंक ऑफ बडौदा शाखा धमौरा में बंधक की । ह.आर.के 23.04.22 (डिजिटल हस्ताक्षर : PAWAN KUMAR SAXENA/25-04-2022)
2) 1426फ. खातेदार मुन्ना लाल व डोरी लाल पुत्रगण राम चरन ने अपनी भूमि गाटा सं.241,276,314,146 को मु.263000/रू में बैंक ऑफ बडौदा शाखा धमौरा में बधंक की । ह.आर.के 22.10.18 (डिजिटल हस्ताक्षर : SHIV KUMAR/30-01-2021)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by: PAWAN KUMAR SAXENA (REGISTRAR KANOONGO) **दिनॉंक/समय/स्थान: 20-03-2025 01:00:47 तहसील : मिलक** यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : TEHSIL REPORT तहसील : मिलक** **मुद्रित दिनांक एवं समय:** 20-03-2025 01:00:47 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

★सत्य प्रतिलिपि
कम्प्यूटरीकृत उद्धरण
तहसील-मिलक, जिला रामपुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ स0– H27784/सी–7/ ब्रा–2005/24 दिनांक: 22/5/25
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड,
ग्राम–खाता चिंतामन,
तहसील–मिलक, रामपुर।
मो0–0591 2485594

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–26/25 Chandra Pal Singh Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 में पारित आदशों के अनुपालन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–26/25 Chandra Pal Singh Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"……7. The Applicant alleges that the illegally dug-up pit was up to the depth of 15 feet and that Respondent No. 4 had not complied with the environmental norms and had illegally dug the pit.

6. Issue notice to the respondents for filing the response by way of affidavit within 6 weeks through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing……"

यह कि माननीय अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–26/25 Chandra Pal Singh Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण खान अधिकारी रामपुर, उप जिलाधिकारी तहसील–मिलक रामपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.03.2025 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार पूर्व में ईट भट्ठे द्वारा गाटा संख्या–314 में अनुमन्य गहराई से अधिक खनन किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठा मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड के विरूद्ध स्थानीय थाने में खान अधिकारी, रामपुर द्वारा दिनांक 19.07.2023 को एफ0आई0आर दर्ज कराई गयी है।

यह कि खान अधिकारी द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज करायी गयी उक्त एफ0आई0आर दिनांक 19.07.2023 में वर्णित है कि लेखपाल रिंकू रानी, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नादिर हुसैन खां नायब तहसीलदार आर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी रामपुर के साथ की ग्राम खाता चिन्तामन की संयुक्त जांच दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील–मिलक जनपद रामुपर की गाटा संख्या–314 रक्बा 1.0480 हे0 की स्थलीय जांच करने पर 20x4.5x1.7153 घनमीटर (154.377 घनमीटर) का मिट्टी का अवैध खनन पाया गया।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–360/2015 National Green Tribunal Bar Association Vs. Virendra Singh (State of Gujrat) & Ors. मे पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 11.06.2021 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण). अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत Development of mechanism for assessment and recovery of compensation हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तैयार की गयी मागदर्शिका दिनांक 29.01.2020 शीर्षक Recommendation on scale of compensation to deal with the cases of illegal sand mining मे वर्णित Approach-2 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की

……………….कृ0पृ0उ0

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र निर्धारित किया गया है:–

EC= Dx (1+RF+DF)

Where,

D- Market Value of illegally mined material,

RF-Risk factor,

DF- Deterrence factor

यह कि अवैध खनन हेतु बाजार मूल्य के सम्बन्ध में खनन विभाग से सूचना प्राप्त न होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत विभिन्न ठेकेदारों से बाजार मूल्य के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी जिसके अनुसार एक घनमीटर मिट्टी का औसत बाजार मूल्य रू0–150/– है। उक्त के अतिरिक्त ईट भट्ठे द्वारा किये गये अवैध खनन हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नही की गयी है अतः Risk factor एवं Deterrence factor की अधिकतम मान क्रमशः 01 एवं 01 के अनुरूप लिया गया है।

यह कि उक्तानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवैध खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में तैयार की गयी मागदर्शिका दिनांक 29.01.2020 मे वर्णित Approach-2 के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है:–

EC= 150 x (1+1+1)

EC= Rs. 450 per Cubic meter.

EC (for 154.377 cubic meter illegal mining) = Rs. 69,470/- (Rs. Sixty Nine Thousand Four Hundred Seventy only)

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–26/25 Chandra Pal Singh Vs. State Of UP and Ors. मे पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 में पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद रामपुर में किये गये अवैध मिट्टी के खनन हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत रू0–69,470/– (रू0–उनहत्तर हजार चार सौ सत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

"यह कि ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील–मिलक जनपद रामपुर की गाटा संख्या–314 में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से 20x4.5x1.7153 घनमीटर (154.377 घनमीटर) का खनन किये जाने के दृष्टिगत क्यों न ईट भट्ठा मैसर्स चांद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील–मिलक जनपद रामपुर के विरूद्ध रू0–69,470/– (रू0–उनहत्तर हजार चार सौ सत्तर मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।"

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिनो के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उक्त निर्देशों की पुष्टि करते हुए आपके विरूद्ध उक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिला खनन अधिकारी रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति सम्बन्धित को तत्काल प्राप्त कराते हुए पावती सहित ससमय उक्त कारण बताओ नोटिस के निस्तारण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7